int Page

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00796/2020-2021

दिनांक 22/09/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/KUS/05818/2020-2021 पत्रावली संख्या:G-55986 दिनांक:2015-2016

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **पं0 श्याम बदन मिश्र मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम-समऊर बाजार बिहार खुर्द पोस्ट-बिहार बुजुर्ग, तहसील-तमुकहीराज, जनपद-कुशीनगर उ0प्र0, कुशीनगर , 274401** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 104/2015-2016 दिनांक-22/04/2015 को दिनांक-22/04/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1250 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHAHI)
312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5E
Date: 22/09/2020 3:55:49 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-22/09/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम – पं० श्याम बदन मिश्र मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी

(2) संस्था का पता – ग्राम समऊर बाजार (बिहार खुर्द), पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण उत्तर प्रदेश।

(4) संस्था का उद्देश्य – संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज मे सुख शान्ति आपसी सदभावना व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थय एवं नागरिको मे आदर्श गुणो की स्थापना हो तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियो को जीवन की मूलभूति आवश्यकताए भोजन, शिक्षा व आवास एवं अतिथि गृह, विवाह गृह की व्यवस्था करना तथा शिक्षित बेरोजगारो को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हे रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना तथा जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उसका लोगो को अधिकाधिक लाभ प्रदत्त करने के लिए समाज के विभिन्न स्तर के लोगो को निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के अलावा संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगे :–

1– समाज के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक,चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान एवं मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इन्जिनियरिंग कालेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कालेजो एवं लॉ कालेजो की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना ।

2– शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0सी0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैट्रर्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।

3– नवयुवक एवं नवयुवतियों को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा बालक एवं बालिकाओं के स्वरोजगार हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

4– निर्बलों के उत्थान हेतु कम्प्यूटर शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार –प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करना सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

5– समाज में व्यवसायपरक कम्प्यूटर शिक्षा को बढावा देने के लिए सभी प्रकार के शिक्षा सम्बन्धी एवं बिजनेस मैनेजमेन्ट कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक कॉलेजों की स्थापना करना।

6– समाज के पिछडे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे–कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी० टी० पी०, सिलाई कढाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला, गृहसज्जा, आचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्युटीपार्लर की जानकारी देना तथा खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमडा उद्योग, रैक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।

7– समाज के उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्थापनार्थ एवं संचालन से सम्बन्धित कार्य करना।

8– समाज के पिछडे वर्ग हेतु औद्योगिक जैसे टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, लघु तथा कुटीर उद्योग, मोटर बाईंडिंग, टी० वी० प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के प्रति प्रयास करना तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उसे संचालित करना।

9– कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिचाई के साधन, तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषकों को निःशुल्क दिलाना। जिससे कृषि उपज को बढावा मिल सके एवं उद्यान विभाग, मशरूम बोर्ड, कृषि विभाग उ०प्र०, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा जडी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा लोगों को निःशुल्क वितरण करना।

10– पशुपालन, गौ पालन व गौशाला व मत्स्य पालन, ईमू पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन रेशम कीट पालन, भेड़ों का पालन तथा उपयोगी पशु पक्षियों के पालन तथा उनसे प्राप्त होने वाले वस्तुओं के उपयोग को जन जन तक पहुँचा कर उनकी उपयोगिता के लाभ को समाज के हर वर्गो तक पहुचाने के सभी कार्य करना।

11– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बालकल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण से संबन्धित योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुचाने मे सहयोग करना।

12– निर्धन तथा कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास का निर्माण कराना व उसके व्यवस्था का संचालन करना।

13– देश–विदेश से आये विद्यार्थियों, बौद्ध भिछुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मार्थ धर्मशालाओं का निर्माण कराना व उसकी व्यवस्था का संचालन करना।

14– महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु टेक्निकल विद्यालयों, कृषि विद्यालयों, की स्थापना करना तथा उसके माध्यम से उन्हें सिलाई, कढाई, कशीदाकारी, बुनाई, तथा वस्त्रोद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हे योग्य बनाना तथा कोष्ठकला उद्योग का संचालन करना।

15– शोध रिसर्चसेन्टर का प्रबन्ध करना तथा शोध करने वाले बालक–बालिकाओं को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना व स्वरोजगार के प्रति स्वावलम्बी बनाना।

16– विभिन्न प्रकार के जन समाएँ कराना, प्रेस कॉनफ्रेन्स, तथा अन्य सामाजिक/सास्कृतिक कायक्रमों का संचालन करना।

विनिता खुशबू

निभा सत्येन्द्र तिवारी प्रमोद तिवारी

26– निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबंध कराना तथा निःशुल्क वितरण कराना।

27– आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्युनिटी हाल, बारात घर, वृद्धा आश्रम, महिलाओं के लिए आश्रम, अनाथालय, प्याउ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियों, रात्रि निवास, शॉर्ट स्टे होम, मुकबधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

28– स्वयं सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी करना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की रोजगार परक योजनाओं में सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवको व नवयुवतियों को रोजगार की निःशुल्क जानकारी प्रदान कराना तथा गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों का आयोजन करवाना।

29– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा उ० प्र० सरकार, भारत सरकार व राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देना।

30– पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में हर सम्भव कार्य कर प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा मानव जीवन के प्रति हितैषी पशु पक्षियों के विलुप्त होती प्रजातियों को समाप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक कार्यों को करना।

31– वैकल्पिक ऊर्जा व बायो गैस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमो सहित संस्था द्वारा स्वविवेक से उन सभी कार्यक्रमो का निष्पादन करना जो समाजपयोगी हो तथा उनका प्रचार प्रसार संरक्षण, सम्बर्धन व प्रयोग तथा (शोध) अविष्कार के क्षेत्र में प्रयास करना एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्यकर्म संचालित करना।

32– गॉव में उपलब्ध अस्थायी कृषि वेस्ट, किचन वेस्ट, गोबर तथा अन्य बेकार प्रदार्थो का समुचित उपयोग करते हुऐ नवीनतम तकनीकी को अपनाने हेतु प्रेरित करना तथा इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उसका संचालन करना तथा ग्राम्य विकास के लिए योजनाये बनाना तथा उसे कियान्वित कराना एवं ग्रामीण तथा शहरी अंचल में कूड़े–कचरे के प्रबंधन की उचित व्यवस्था करना एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय, पेय जल एवं अन्य स्वच्छता कार्यक्रमो का संचालन करना।

33– राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने तथा उससे सम्बन्धित हर संभव प्रयास एवं कार्य करना।

(5) संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपा गया है :–

नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
श्री कन्हैया मिश्र	श्री श्यामबदन मिश्र	अध्यक्ष	ग्राम बिहार खुर्द (समऊर बाजार) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, जिला कुशीनगर।	समाजसेवा

2	श्रीमती सत्यवती देवी	श्री कन्हैया मिश्र	उपाध्यक्ष	ग्राम बिहार खुर्द (समऊर बाजार) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, जिला कुशीनगर।	गृहिणी
3	श्री अभय कुमार मिश्र	श्री कन्हैया मिश्र	सचिव/ प्रबंधक	ग्राम बिहार खुर्द (समऊर बाजार) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, जिला कुशीनगर।	समाजसेव
4	श्रीमती विनीता मिश्रा	श्री विनय मिश्र	उपप्रबन्धक	ग्राम बिहार खुर्द (समऊर बाजार) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, जिला कुशीनगर।	गृहिणी
5	श्रीमती खुशबू मिश्र	श्री अभय मिश्र	कोषाध्यक्ष	ग्राम बिहार खुर्द (समऊर बाजार) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, जिला कुशीनगर।	गृहिणी
6	डॉ0 उत्तम मिश्रा	श्री सुग्रीव मिश्रा	सदस्य	ग्राम व पो0 फाजिलनगर तहसील कसया जिला कुशीनगर।	समाजसेव
7	निभा मिश्रा	डॉ0 उत्तम मिश्रा	सदस्य	ग्राम व पो0 फाजिलनगर तहसील कसया जिला कुशीनगर।	गृहिणी
8	श्री सत्येन्द्र तिवारी	श्री रामनगीना तिवारी	सदस्य	ग्राम नारायणपुर पो0 पथरवा तहसील कसया जिला कुशीनगर।	समाजसेव
9	डॉ0 प्रमोद तिवारी	स्व0 अक्षय तिवारी	सदस्य	ग्राम अमवा तिवारी पो0 सोहनग तहसील कसया जिला कुशीनगर।	समाजसेव

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्टेशन एक्ट की धारा 21सन् 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

दिनांक ....

विनिता खुशबू

अभयकुमार मिश्रा कन्हैया

निभा सत्येन्द्र तिवारी प्रमोद तिवारी

नियमावली

(1) संस्था का नाम – पं0 श्याम बदन मिश्र मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी

(2) संस्था का पता – ग्राम समऊर बाजार (बिहार खुर्द) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र – संपूर्ण उत्तर प्रदेश।

(4) संस्था का उद्देश्य – जैसा की स्मृति पत्र में दिया गया है।

(5) संस्था की सदस्यता – संस्था के उद्देश्यों, नियमों में निष्ठा रखने वाले विभिन्न सदस्यों की सदस्यता निम्नवत है।

1) **आजीवन सदस्य**– वह व्यक्ति जो समाज हित में संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने के लिए समर्पित हो और संस्था को मुवलिग 1001/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में प्रदान करें, उसे प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के उपरान्त संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा।

2) **सामान्य सदस्य** – सामान्य सदस्य संस्था के कोष में 501/– रूपया वार्षिक शुल्क जमा करके सामान्य सदस्य बन सकेंगें।

3) **मनोनीत सदस्य**– संस्था के हित में सचिव/प्रबन्धक द्वारा समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को संस्था के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा, जिनकी संख्या अधिकतम पॉच होगी तथा जिन्हे मत देने का अधिकार नही प्राप्त होगा इनकी सदस्यता अवधि एक वर्ष की होगी।

नोट :– सचिव/प्रबंधक द्वारा काटी गयी सदस्यता रशीद ही सदस्य बनने के लिए साक्ष्य में ग्राहय होगा।

(6) सदस्यता की समाप्ति –

अ) निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी :–

1) सदस्य की मृत्यु होने पर।

2) सदस्य के पागल होने पर।

3) न्यायालय द्वारा सदस्य को दिवालिया घोषित किये जाने पर तथा गंभीर अपराध में दण्डित किये जाने पर।

4) निर्धारित अवधि पर शुल्क न जमा करने पर।

5) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहने पर।

6) त्याग पत्र दे देने पर।

ब) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत आचरण सिद्ध हो जाने पर अथवा संस्था के हितों के विपरीत कार्य करने पर किसी सदस्य की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा ही निरस्त कि जा सकेगी।

विनीता खुशबू

(7) संस्था के अंग–अ) साधारण सभा ब) प्रबंधकारिणी समिति/कार्यकारिणी सभा

अ) साधारण सभा –

1) **गठन** – साधारण सभा का गठन संस्था के नियम पाँच मे दिये गए समस्त सदस्य मिल कर करेगें।

2) **बैठकें** – साधारण सभा की बैठकें सामान्यतः प्रति वर्ष एक बार आवश्य हुआ करेगी।

3) **सूचना अवधि** – साधारण सभा की प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित तिथि से सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजी जाएगी। विशेष या आकस्मिक् बैठक के लिये 24 घंटे पूर्व सूचना दी जायेगी।

4) **गणपूर्ति** – साधारण सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

5) **वार्षिक अधिवेशन** – संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित तिथि पर सम्पन्न होगा।

6) **अधिकार एवं कर्तव्य** –

1) प्रत्येक पाँच वर्ष बाद साधारण सभा के सदस्यों मे से प्रबन्धसमिति के सदस्यों व पदाधिकारियो का चुनाव करना।

2) वार्षिक आय व्यय का बजट पास करना।

3) संस्था का नीति निर्धारण करना।

4) प्रबंधसमिति द्वारा प्रस्तुत विषयों पर अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करना ।

5) अन्य सभी कार्य करना जो की संस्था के प्रगति मे सहयोगी हो।

ब) प्रबंधसमिति

1) **गठन** – प्रबंधसमिति का गठन संस्था के नियम पाँच में दिये गए सदस्यों में से किया जायेगा जिसमें कुल सदस्य व पदाधिकारी मिला कर 09 होगें जो निम्नलिखित रूप में होगे।

1– अध्यक्ष 2– उपाध्यक्ष 3– सचिव/प्रबंधक 4– उपप्रबंधक
5– कोषाध्यक्ष 6– चार सदस्य कार्यकारिणी।

2) **बैठकें** – प्रबन्धसमिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठक अध्यक्ष द्वारा सूचना प्रेषित कर आयोजित की जायेगी आवश्यकता होने पर तीन से अधिक बैठके भी आयोजित की जा सकेगी।

3) **चुनाव** – प्रबंधकारिणी समिति एवं पदाधिकारियो का चुनाव साधारण सभा के बहुमत द्वारा कराया जायेगा।

4) **सूचना अवधि** – प्रबंधसमिति की प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजी जायेगी। विशेष या आकस्मिक बैठक के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना दी जा सकेगी ।

5) **रिक्त स्थानों की पूर्ति** – प्रबंधसमिति के सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति शेष कार्यकाल की अवधि के लिए प्रबंधसमिति साधारण सभा के सदस्यो मे से करेगी।

विनिता रवुशबू

6) कर्त्तव्य एवं अधिकार –

1) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमो का चयन व उनका सफलतापूर्वक आयोजन/क्रियान्वयन करना।
2) आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बना कर साधारण सभा से अनुमोदन कराना।
3) संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकता अनुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना ।
4) कार्यकत्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियों का गठन करना।
5) सचिव/प्रबन्धक द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना।
6) संस्था के विकास हेतु अवश्यक कार्य करना।
7) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्रवासी भारतीयों से दान एवं उपहार प्राप्त करना।
8) प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकार, संस्था एजेंसी तथा बैंको द्वारा कार्यकमो के संचालन हेतु ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
9) विशेषज्ञों, बुद्धजीवियो से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना।
10) केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओ से दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
11) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय– समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
12) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
13) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनूसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं। तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
16) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
17) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

18) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार हैं।

19) उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संसोधन नहीं किया जायेगा।

20) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों को उपलब्ध कराना तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेश का पालन करना।

21) समिति विभिन्न विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त कर महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु बी0एड0,बी0पी0एड0 तथा बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना करना।

22) संस्था यदि किसी ट्रस्ट का निर्माण करती है तो समिति के नियम नियमावली एक ही होगी।

23) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओ को तैयार करना तथा संस्था संचालित विद्यालय को विभाग/शासन से सम्बद्वता कायम करना।

7) **कार्यकाल** – प्रबंधसमिति का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

(8) पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

1) **अध्यक्ष**

1) संस्था के सभी बैठको की अध्यक्षता करना तथा किसी प्रस्ताव पर समान मत आने पर अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

2) प्रबन्धसमिति की ओर से उसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यो का विभाजन करना और समय समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना और सचिव/प्रबंधक व अन्य पदाधिकारीयों के सहयोग से सरकारी, गैरसरकारी विभागो तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहयोग एव सहायता स्थापित करना।

3) संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के बावत आवश्यक सलाह अन्य पदाधिकारियों को देना तथा संगठन को मजबूत बनाना।

2) **उपाध्यक्ष** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा अध्यक्ष द्वारा सौपे गए कार्यो को सुचारू रूप से करना तथा अध्यक्ष का पूर्ण सहयोग करना।

3) **सचिव/प्रबंधक** – सचिव/प्रबंधक के निम्नलिखित अधिकार होंगे –

1) संस्था की समस्त बैठको को आमत्रित करना, उनके आयोजन की पूर्व व्यवस्था, अन्य पदाधिकारीयों के सहयोग से करना।

2) संस्था की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखो को तैयार करना/कराना।

3) संस्था के प्रबन्ध समिति के समस्त प्रस्तावों एवं आदेशों को कार्य रूप मे परिणित करना।

4) संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना और ऋण अनुदान तथा क्रय विक्रय के समस्त कागजातो पर हस्ताक्षर करना।

5) संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा किराये पर लेना देना व विभिन्न कार्यो की देख रेख करना ।

विनीता

6) संस्था के आय – व्यय का हिसाब किताब तथा रिर्पोट प्रबन्धसमिति के समक्ष रखना।

7) संस्था एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि, निलम्बन, बहाल आदि प्रबन्धसमिति के अनुमोदन पर करना।

8) संस्था के सचिव/प्रबंधक के रूप में संस्था के हित में और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य समस्त कार्यों को करना।

9) संस्था के सभी योजनाओं को लागू करने के दिशा में कार्य करना।

10) संस्था के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना व उपसमितियों के प्रभारी की नियुक्ति करना तथा प्रबंधसमिति के निर्णयों का अनुपालन करना/कराना।

11) समस्त बिल बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, संविदाओं आहरण पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

12) संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।

13) सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

14) संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियंत्रण करना।

15) खादी बोर्ड/खादी कमीशन के नियमानुसार कार्यक्रमों का संचालन करना तथा बैंक व वित्तीय संस्थाओं से ऋण अनुदान प्राप्त करना तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त करना।

16) कर्मचारीयों के कार्यों का अवलोकन करना तथा न्याय संगत दिशा निर्देश देना।

17) संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

4) **उपप्रबंधक** :– सचिव/प्रबन्धक के अनुपस्थिति मे उनके समस्त अधिकारो का प्रयोग करना तथा उनका पूर्ण सहयोग करना।

5) **कोषाध्यक्ष** :– कोषाध्यक्ष के निम्न अधिकार होंगे :–

1– संस्था के कोष को बैंक मे जमा करना।
2– सचिव/प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित बिलो को पास करना।
3– सचिव/प्रबंधक द्वारा सौपे गये कार्यो को सुचारू रूप से करना।
4– संस्था हित मे जन सम्पर्क कर धन एकत्रित करना।
5– क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सदस्य बनाना।

(9) संस्था का कोष –

अ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्रतिष्ठानों से ली गई राशियां निहित होगी।

ब) संस्था के कोष की व्यवस्था के लिए इसके खाते किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोले जायेंगें जिसका संचालन अध्यक्ष व सचिव/प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा किया जाएगा।

(10) लेखा परीक्षण – संस्था का लेखा परीक्षण प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त किसी भी सदस्य द्वारा किया जायेगा आवश्यक होने पर चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा भी किया जा सकेगा।

(11) अदालती कार्यवाही – इस संस्था द्वारा या इसके विरूद्ध किसी प्रकार की अदालती कार्यवाहीयों का संचालन सचिव/प्रबंधक द्वारा किया जा सकेगा।

उमाशंकर मिश्रा विनिता रघुराज

(12) संस्था के अभिलेख – संस्था के अभिलेख को तैयार करने, रख रखाव और सुरक्षा का दायित्व सचिव/प्रबंधक को होगा निम्नलिखित अभिलेख मुख्य तौर पर संस्था के अभिलेख होगें –

1) सूचना रजिस्टर
2) कार्यवाही रजिस्टर
3) सदस्यता रजिस्टर
4) संपत्ति रजिस्टर इत्यादि

(13) नियमो में संशोधन – संस्था के नियमों मे परिवर्तन एवं संसोधन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकेगा। तथा उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए प्रबन्धसमिति द्वारा उपनियम भी बनाये जा सकेगें।

(14) संस्था के विघटन की स्थिति – संस्था का विघटन होने की स्थिति में इसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत किया जाएगा।

दिनांक ....

सत्य प्रतिलिपि

समक्ष,

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स

गोरखपुर।

मै अभय कुमार मिश्र आयु वर्ष पुत्र श्री कन्हैया मिश्र निवासी ग्राम समऊर बाजार (बिहार खुर्द) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर एक सोसाइटी पंजीकृत कराना चाहता हूँ तथा इसके कियाकलापो से परिचित हूँ व इस संस्था का सचिव/प्रबंधक हूँ तथा यह शपथपत्र प्रस्तुत करने मे सक्षम हूँ एवं शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ :-

1- यह कि मेरे संज्ञान मे आवेदित पं0 श्याम बदन मिश्र मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी ग्राम समऊर बाजार (बिहार खुर्द) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर संस्था नाम से कोई पूर्व पंजीकृत सोसाइटी नही है, न ही मेरे संस्था का उददेश्य किसी पूर्व पंजीकृत/अपंजीकृत सोसाइटी की प्रबंधसमिति परिसम्पत्तियो मे अनावश्यक या बलात कब्जे का है।

अभय कुमार मिश्र।

2– यह कि यदि उक्त आवेदित पं0 श्याम बदन मिश्र मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी ग्राम समऊर बाजार (बिहार खुर्द) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर नाम से पूर्व पंजीकृत संस्था पायी जाती है तो मै अपनी सोसाइटी का नाम परिवर्तित कर लुंगा। अन्यथा की स्थिति में सोसायटी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये सोसायटी का पंजीकरण निरस्तीकरण पर मुझे या प्रबंधसमिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य को कोई आपत्ति नही होगी।

3– यह कि स्मृति–पत्र तथा नियमावली पर जिन सदस्यो/पदाधिकारायो के नाम व पते दर्ज है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एव सत्य है। स्मृति पत्र तथा नियमावली मे वर्णित व्यक्तियो द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये है।

4– यह कि संस्था का उद्देश्य कुछ और न होकर पूर्णतया सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत ही होगा।

5– यह कि संस्था का उद्देश्य शैक्षणिक/साहित्यिक/सामाजिक ही होगा और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कोई कार्य नही किया जायेगा।

6– यह कि मजमून शपथपत्र के पैरा 1 से 5 तक मेरी जानकरी के अनुसार सही व सत्य है, इसमे कोई बात छिपाई नही गयी है और न सत्य बात लिखने से छोडी व छुपाई गयी है सो ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक किया बमुकाम दीवानी कचहरी गोरखपुर।

शपथकर्ता

अभय कुमार मिश्र

(अभय कुमार मिश्र)

दिनांक :–

आज दिनांक 05-04-2015 दिन रविवार समय 12 बजे दिन मे पूर्व प्रसारित सूचना के अनुसार पं० श्याम बदन मिश्र मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाईटी ग्राम समऊर बाजार (बिहार खुर्द) पोस्ट बिहार बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, जिला कुशीनगर कार्यालय परिसर मे साधारण सभा की एक बैठक अध्यक्ष श्री कन्हैया मिश्र की अध्यक्षता मे आयोजित हुई। बैठक मे साधारण सभा के कुल 15 सदस्यो मे से 13 सदस्यो के उपस्थित होने पर आज की विशेष बैठक की कोरमपुरा रहा तथा बैठक मे निम्नलिखित कार्यवाही की गई :-

1- संस्था के गठन पर विचार - सचिव/प्रबंधक श्री अभय कुमार मिश्र ने साधारण सभा की बैठक मे संस्था की स्मृति पत्र व नियमावली को सहायक रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर के यहाँ पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध मे की जाने वाली कार्यवाही को पढ कर सुनाया तथा पारित प्रस्ताव का विवरण सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियो ने उक्त स्मृति पत्र व नियमावली का अध्ययन व अवलोकन करने के पश्चात सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तथा स्मृति-पत्र व नियमावली को सचिव/प्रबंधक श्री अभय कुमार मिश्र को सहायक रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर के यहाँ पंजीयन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

2- प्रबंधसमिति के निर्वाचन पर विचार - प्रस्ताव को विचारार्थ साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उपस्थित सभी सदस्यो ने आम सहमति के आधार पर निर्वाचन की कार्यवाही का आग्रह सभी सदस्यो से किया तथा अध्यक्ष महोदया की भावना आदर करते हुए सर्वसम्मति से प्रबंधसमिति का निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया तथा निर्वाचन की कार्यवाही निम्नलिखित रूप से सम्पन्न की गयी :-

1- अध्यक्ष :- अध्यक्ष पद हेतु श्री कन्हैया मिश्र के नाम का प्रस्ताव सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो ने एक स्वर मे किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से श्री कन्हैया मिश्र अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

2- उपाध्यक्ष :- उपाध्यक्ष पद हेतु श्रीमती सत्यवती देवी के नाम का प्रस्ताव सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो ने एक स्वर से किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से श्रीमती सत्यवती देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई।

3- सचिव/प्रबंधक :- सचिव/प्रबंधक पद हेतु श्री अभय कुमार मिश्र के नाम का प्रस्ताव साधारण सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगो द्वारा एक स्वर से किया गया, कोई दूसरा नाम किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित नही किया गया। इस प्रकार सर्वसम्मति से श्री अभय कुमार मिश्र सचिव/प्रबंधक निर्वाचित हुए।

अभय कुमार मिश्र। कन्हैया विनिता। रघुबर

4– उपप्रबंधक :– उपप्रबंधक पद हेतु श्रीमती विनीता मिश्रा के नाम का प्रस्ताव सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो ने एक स्वर से किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से श्रीमती विनीता मिश्रा उपप्रबंधक निर्वाचित हुई।

5– कोषाध्यक्ष :– कोषाध्यक्ष पद हेतु श्रीमती खुशबू मिश्र के नाम का प्रस्ताव सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो ने एक स्वर से किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से श्रीमती खुशबू मिश्र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुई।

6– सदस्य कार्यकारिणी :– पदाधिकारियो का उपरोक्त रूप से निर्वाचन सम्पन्न होने पर सभा मे उपस्थित सभी सदस्यो ने प्रबन्धसमिति के सदस्यो का नाम प्रस्तावित करने के लिए अध्यक्ष महोदय श्री कन्हैया मिश्र को अधिकृत किया इस प्रकार अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्धसमिति के सदस्य पद हेतु डॉ0 उत्तम मिश्रा, निभा मिश्रा, श्री सत्येन्द्र तिवारी व डॉ0 प्रमोद तिवारी के नाम का प्रस्ताव किया जिसका समर्थन सभा मे उपस्थित सदस्यो व क्षेत्र के गणमान्य लोगो ने एक स्वर से किया और इस प्रकार सर्वसम्मति से निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्धसमिति निम्नलिखित रूप मे निर्वाचित घोषित की गयी :–

क्र0स0	नाम	पद
1	श्री कन्हैया मिश्र	अध्यक्ष
2	श्रीमती सत्यवती देवी	उपाध्यक्ष
3	श्री अभय कुमार मिश्र	सचिव/प्रबंधक
4	श्रीमती विनीता मिश्रा	उपप्रबन्धक
5	श्रीमती खुशबू मिश्र	कोषाध्यक्ष
6	डॉ0 उत्तम मिश्रा	सदस्य
7	निभा मिश्रा	सदस्य
8	श्री सत्येन्द्र तिवारी	सदस्य
9	डॉ0 प्रमोद तिवारी	सदस्य

3– अन्य प्रस्ताव – अन्य कोई प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा पेश नही किया गया और अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा मे सभी उपस्थित सदस्यो व क्षेत्र के गणमान्य लोगो को जलपान कराये जाने के बाद बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय द्वारा समाप्त की गयी।

सत्य प्रतिलिपि !

अभयकुमार मिश्रा   कन्हैया   विनीता   खुशबू